अमित रावल जे के समक्ष

दर्शन सिंह और अन्य----------अपीलकर्ता

बनाम

नसीब कौर और अन्य-------प्रतिवादी

आर. एस. ए. संख्या 1135 साल 1992

23 अप्रल, 2018

भारतीय उत्तराधिकार अधिनिय, 1925-धारा 63 (सी)-वसीयत का निष्पादन-प्रमाण-वादी ने भूमि पर कब्जा करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने जबरन कब्जा कर लिया और भूमि को परिवर्तित कर दिया-प्रतिवादियों ने वसीयत के आधार पर दावा किया-गवाहों द्वारा सत्यापित, एक की मृत्यु हो गई और दूसरा मुकर गया-मृत गवाह का बेटा वसीयत का समर्थन नहीं करता था और यह नहीं बता सकता था कि उसके पिता ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे-विलेख लेखक के रजिस्टर में वसीयतकर्ता के अंगूठे के निशान नहीं थे-1925 अधिनियम की धारा 63 (सी) का अनुपालन स्पष्ट रूप से वांछित था-भले ही अन्य गवाह ने गवाही दी थी कि वह निष्पादन के समय मौजूद था, यह वसीयत साबित करने के प्रावधानों की पर्याप्त आवश्यकता नहीं थी।

अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही दूसरे गवाह से पूछताछ की गई हो या अपदस्थ किया गया हो कि दूसरा गवाह निष्पादन के समय मौजूद था, यह वसीयत को साबित करने के लिए प्रावधानों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं था।

(पत्र 15)

आर. एस. ए.-1135-1992 में अपीलार्थी (गण) की ओर से जी. एस. गांधी, अधिवक्ता । आर. एस. ए.-1135-1992 में प्रतिवादी संख्या 2 के लिए और आर. एस. ए.-1501-1992 में अपीलार्थी (गण) के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कंवलजीत सिंह के साथ एन. के. मनचंदा, अधिवक्ता ।

अमित रावल, जे. (ओरल)

(1) मेरा यह आदेश दो नियमित सेकंड अपील का निपटान करेगा, 1992 के आर. एस. ए. संख्या 1135 वाली अपील जिनका शीर्षक दर्शन सिंह और **अन्य बनाम नसीब कौर और अन्य 1986 के सिविल मुकदमा** संख्या **116 के निर्णय से उत्पन्न हुए जिसका शीर्षक था नसबीर कौर और अन्य बनाम बचित्तर** सिंह और अन्य और 1992 के आर. एस. ए. संख्या 1501 वाली अपील जिसका शीर्षक नसीब कौर और अन्य बनाम बचित्तर सिंह और अन्य ह। 1988 के सिविल मुकदमा संख्या 116 का शीर्षक नसीब कौर और अन्य बनाम बचित्तर सिंह और अन्य।

(2) तथ्य 1992 के आर. एस. ए. संख्या 1135 से लिए जा रहे हैं।

(3) वादी-नसीब कौर और अन्य ने इस आधार पर मुकदमा दायर किया कि

दर्शन सिंह और अन्य बनाम नसीब कौर और अन्य

(अमित रावल, जे.)

अवतार सिंह, बाघेर सिंह, बचित्तर सिंह और मुख्तियार सिंह बिशन सिंह के बेटे आला सिंह के बेटे थे। मुख्तियार सिंह खेवात खतौनी संख्या 24/58 से लेकर शिकायत के मुख्य-नोट में विधिवत वर्णित 61 तक की 66 कनाल 0 मरले की भूमि के मालिक थे। मुख्तियार सिंह की हत्या दिनांक 14.01.1976 उनके बेटे बंता सिंह ने की थी, जिसे उनकी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, इसलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए, वह संपत्ति में किसी भी हिस्से का हकदार नहीं था। मृत्यु के समय मुख्तियार सिंह की एक जीवित पत्नी करतार कौर थी। उनकी मृत्यु के बाद, करतार कौर (पत्नी), नसीब कौर (बहू) और मोहिंदरजीत सिंह (पोता) उनके बराबर हिस्से के मालिक बन गए। करतार कौर की चार साल पहले मृत्यु हो गई थी और उसके बाद, मुख्तियार सिंह के भूमि उत्तराधिकारी का उनका एक तिहाई हिस्सा विशेष रूप से बंता सिंह-वादी को विरासत में मिला था। यह, मामले की उस पृष्ठभूमि में, वादी ने समान शेयरों में विवाद में भूमि के मालिक होने का दावा किया। चूंकि बंता सिंह जेल में बंद था और बाकी लोग महिलाओं व नाबालिग के साथ घर में रह रहे थे, लेकिन प्रतिवादियों ने जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया और राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर, मुख्तियार सिंह द्वारा कथित रूप से निष्पादित की गई वसीयत दिनांक 10.01.1969 के आधार पर पर दिनांक 30.01.1980 को म्यूटेशन को मंजूरी दे दी। उपरोक्त वसीयत को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि मुख्तियार सिंह ने वसीयत को कभी पूरा नहीं किया।

(4) उपरोक्त मुकदमे के नोटिस के जवाब में, प्रतिवादियों ने विभिन्न आपत्तियां लेते हुए लिखित बयान दायर किया था। शिकायत में दर्शाई गई वंशावली तालिका को गलत विवरण के आधार पर विवादित किया गया था, क्योंकि अवतार सिंह की मेलो विधवा, सुरजीत कौर उर्फ सुखजीत, अवतार सिंह की बेटी अमरजीत कौर के विवरण का उल्लेख नहीं किया गया था। मुख्तियार सिंह की हत्या और बंता सिंह को दोषी ठहराए जाने के तथ्य को स्वीकार किया गया, बहुत कम, मुख्तियार सिंह की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने के लिए उनकी अयोग्यता को स्वीकार किया गया। यहां तक कि करतार कौर की मृत्यु से भी इनकार नहीं किया गया था। प्रतिवादियों ने वसीयत के आधार पर उत्परिवर्तन की मंजूरी का समर्थन इस आधार पर किया कि मुख्तियार सिंह की पत्नी करतार कौर के अपने पति मुख्तियार सिंह के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवनकाल के दौरान मुख्तियार सिंह के खिलाफ एक रखरखाव आवेदन दायर किया था और यहां तक कि खंड 107/151 **सीआरपीसी** के तहत कार्यवाही भी शुरू की गई थी। केवल तीन भाई, बचित्तर सिंह, अवतार सिंह और बाघेर सिंह, मुख्तियार सिंह के जीवन काल के दौरान उनकी सेवा करते थे और इसी वजह से उन्होंने उनके पक्ष में एक वसीयत का निष्पादन किया। शिकायत में किए गए कथनों की पुष्टि करते हुए कथनों का खंडन करते हुए प्रतिकृति दायर की गई थी।

(5) निचली अदालत ने दलीलों के आधार पर निम्नलिखित मुद्दों को तय्यार किया:-

1. क्या वादी उत्तराधिकार के आधार पर कब्जे के लिए डिक्री के हकदार हैं जैसा कि वाद में अनुरोध किया गया ह?ओपीपी।

2. क्या मुख्तियार सिंह मृतक ने प्रतिवादी नम्बर 1 और 2 और मृतक अवतार सिंह के पक्ष में एक वध वसीयत को निष्पादित किया। यदि ऐसा ह□तो किस प्रभाव में /ओ. पी. डी.

3. मुक़दमे की शिकायत के साथ नवीनतम जमाबादी दाखिल न करने का क्या प्रभाव पड़ता ह?ओपीडी

4. क्या यह मुकदमा मृतक अवतार सिंह की बेटों, सुरजीत कौर, सुखजीत कौर, परमजीत कौर के शामिल न होने के लिए गलत है?

5. राहत।

अभियोक्ता ने मामले के समर्थन में निम्नलिखित गवाहों से पूछताछ कीः-

पीडब्लू1 बंता सिंह

पीडब्लू-2 अंग्रेज सिंह

दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने निम्नलिखित गवाहों से पूछताछ कीः-

डी. डब्ल्यू.-1 बघेरा सिंह,

डी. डब्ल्यू.-2 दुनी चंद,

डी. डब्ल्यू.-3 अमीर सिंह

डी. डब्ल्यू.-4 सुरजीत सिंह

डी. डब्ल्यू.-5 रंजीत सिंह

डी. डब्ल्यू.-6 अवतार सिंह

डी. डब्ल्यू.-7 ब्रिश भान, न्यायिक अभिलेख कक्ष के लिपिक।

(6) इसके बाद, अतिरिक्त साक्ष्य के लिए एक आवेदन दायर किया गया, क्योंकि पिछले साक्ष्य में, मूल वसीयत का पता नहीं था और उसके समर्थन में, प्रतिवादियों ने यह साबित करने के लिए डी. डब्ल्यू.-5 रणजीत सिंह से फिर से पूछताछ की कि वसीयत एक्स.डी.-9 के प्रमाणित करने वाले गवाहों में से एक नरनजन सिंह की मृत्यु हुई थी। डी. डब्ल्यू.-4, वसीयत एक्स.डी.9 के लेखक सुरजीत सिंह और डी. डब्ल्यू.-6 अवतार सिंह वसीयत के गवाह हैं। डी. डब्ल्यू.-8 महेश चंदर सेवानिवृत्त तहसीलदार, जिन्होंने वसीयत (एक्स.डी.-9) को वसीयत के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए प्रमाणित किया। डी. डब्ल्यू.-9 हर कौर, हस्तलेखन विशेषज्ञ, वसीयत के प्रमाणित करने वाले गवाहों में से एक अवतार सिंह के अंगूठे के छाप को साबित करने के लिए। डी. डब्ल्यू.-10 श्री राम सिंह, अधिवक्ता, दावा साबित करने के लिए। मुख्तियार सिंह के खिलाफ करतार कौर आदेश 33 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन दायर द्वारा दायर किया। डी. डब्ल्यू.-11 सतवंत पुरी, हस्त लेखन विशेषज्ञ, जिन्होंने मुख्तियार सिंह के विवादित अंगूठे के निशान की तुलना पिछले बिक्री विलेख दिनांक07.03.1961 पर मौजूद उनके अंगूठे के निशान से की। डी. डब्ल्यू.-12-वरिंदर कुमार और डी. डब्ल्यू.-13 चरण दास क्लर्क, श्री आई. एम. एल. वर्मा अधिवक्ता से पूछताछ की गई।

(7) वादी संख्या 3-Banta सिंह ने पी. डब्ल्यू.-1 के रूप में खंडन/रिबटल में गवाह बॉक्स में पेश हुए।

(8) निचली अदालत ने सबूतों की प्रधानता के आधार पर, वसीयत दिनांक 10.01.1969 (एक्स.डी.-9) को बरकरार रखते हुए मुकदमे को खारिज कर दिया। वादी द्वारा दायर एक अपील में, निचली अपील न्यायालय ने मुकदमे को आंशिक रूप से इस हद तक फैसला सुनाया कि नसीब कौर और मोहिंदरजीत सिंह को 66 कनाल

की भूमि के एक तिहाई हिस्से पर कब्जा करने का अधिकार दिया गया था। इसलिए नियमित दूसरी अपील की जाती ह।

(9) आर. एस. ए.-1135-1992 में अपीलार्थी (गण) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गांधी ने प्रस्तुत किया कि बंता सिंह अपने पिता के हिस्से के उत्तराधिकारी होने के हकदार नहीं थे क्योंकि उन्हें अपने पिता की हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के कारण 1956 के अधिनियम की खंड 6 के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 1956 के अधिनियम की खंड 25 और 27 के प्रावधान दोषसिद्धि को देखते हुए प्राकृतिक उत्तराधिकार के उद्देश्य से संपत्ति के हिस्से की विरासत को प्रतिबंधित करते हैं। अपनी दलीलों के समर्थन में, उन्होंने वल्लीकन्नू बनाम आर. सिंगापेरुमल और अन्य1में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फ़ैसले के पैराग्राफ संख्याए 20 से 22 पर भरोसा किया।

(10) इसके बाद यह तर्क दिया गया कि निचली अपील न्यायालय ने वसीयत के आधार पर विरासत में मिले मुक्तियार सिंह के भाई अल्ला सिंह के बेटे अवतार सिंह के हिस्से से वंचित करने में अवैधता और विकृति की, जिसे इस आधार पर बरकरार रखा गया ह कि उनके पूर्व-मृत मुख्तियार सिंह थे, क्योंकि अवतार सिंह की मृत्यु 09.03.1972 पर हुई थी, जबकि मुख्तियार सिंह 14.01.1976 पर थे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में '1872 अधिनियम') की खंड 68 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (संक्षेप में '1925 अधिनियम') की खंड 63 (सी) के प्रावधानों के संदर्भ में वसीयत साबित होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए न्यायालयों के पास अवतार सिंह के अधिकार से वंचित करने का कोई अवसर नहीं था।

उत्तरवादियों -वादियों ने बचित्तर सिंह, जिनकी वर्ष 1980 में कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी, के उत्तराधिकारी को शामिल नहीं किया, इस प्रकार, अपील खारिज होने योग्य थी, इस आधार पर, क्योंकि उचित पक्ष को लागू न करने के संबंध में एक विशिष्ट आपत्ति भी ली गई थी। निचली अपील न्यायालय के लिए नसीब कौर और मोहिंदरजीत सिंह के पक्ष में एक तिहाई हिस्सा देने का कोई अवसर नहीं था, जब यह साबित हो गया था कि मुख्तियार सिंह और कर्तार कौर आमने-सामने थे। रखरखाव का एक मुकदमा के साथ-साथ खंड 107/151 सीआरपीसी के तहत था। वास्तव में, कर्तार कौर ने मुख्तियार सिंह को कई मुकदमों में घसीटा, जिसने उन्हें अपने भाइयों के पक्ष में वसीयत को निष्पादित करने के लिए मजबूर किया। मुकदमेबाजी को देखते हुए वसीयत में बेटे और पत्नी का उल्लेख न करना अवतार सिंह का हिस्सा लेने का कारण नहीं होगा, इसलिए निचली अपील न्यायालय के फ़ैसले और डिक्री को दरकिनार किया जा सकता ह।

(11) इसके विपरीत, श्री कंवलजीत सिंह, विद्वान अधिवक्ता, श्री एन. के. मनचंदा की सहायता से, आर. एस. ए.-1135-1992 में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से और आर. एस. ए.-1501-1992 में अपीलार्थी (गण) की ओर से वसीयत व निचली अपील न्यायालय के निष्कर्षों को चुनौती देते हुए प्रस्तुत किया कि 66 कनाल की भूमि मुख्तियार सिंह की थी जिसमें वह, उनकी पत्नी कर्तार कौर और बेटा बंता सिंह शामिल थे। मुख्तियार सिंह की मृत्यु पर, काल्पनिक विभाजन के आधार पर, भले ही वसीयत को स्वीकार करना पड़ता, मुख्तियार सिंह को 66 कनाल यानी 22 कनाल की भूमि में से केवल एक तिहाई हिस्सा मिलता और इसलिए, मुख्तियार सिंह 22 कनाल की भूमि के संबंध में वैध वसीयत का निष्पादन कर सकते थे, उससे आगे नहीं। चूंकि अवतार सिंह की मृत्यु मुख्तियार सिंह से पहले दिनांक 09.03.1972 को हुई थी, इसलिए, एक तिहाई हिस्सा, मुक्तियार सिंह के कानूनी उत्तराधिकारियों को प्राकृतिक उत्तराधिकार के रूप में जाएगा और शेष का केवल दो तिहाई हिस्सा

1 ए. आई. आर 2008 एस. सी. 2587

यानी 22 कनाल, वसीयत द्वारा विरासत में मिलेगा। यह मुख्तियार सिंह की अनन्य संपत्ति थी, इसलिए भाइयों के पास कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि अगर अवतार सिंह की निस्संतान और अविवाहित मृत्यु हो जाती तो वे संपार्श्विक होने में सफल हो सकते थे। वसीयत को 1925 के अधिनियम की खंड 63 (सी) के प्रावधानों के अनुसार भी साबित नहीं किया गया था क्योंकि डी. डब्ल्यू. 4-सुरजीत सिंह, डीड राइटर ने जिरह में स्वीकार किया कि मुख्तियार सिंह का नाम उनके रजिस्टर में था जो अंगूठे की छाप जोड़ने के लिए कॉलम में नहीं लिखा गया था। वह मूल वसीयत को देखे बिना उसकी सामग्री के संबंध में गवाही नहीं दे सकता था और न ही उसे वसीयत के प्रमाणित करने वाले गवाहों का नाम याद था। डी. डब्ल्यू. 5-रणजीत सिंह ने कहा कि उनके पिता पंजाबी और उर्दू जानते थे। डी. डब्ल्यू.-6 अवतार सिंह पेश हुए, लेकिन os मुकर गयs और कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने वसीयत पर अपने हस्ताक्षर किए हैं या नहीं, दूसरे शब्दों में, उन्होंने वसीयत का समर्थन नहीं किया।

डी. डब्ल्यू. 5-रंजीत सिंह, अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति देने के बाद, फिर से पेश हुए और जिरह में कहा कि उन्होंने यह पहचान नहीं की कि वसीयत पर उनके पिता के हस्ताक्षर हैं या नहीं। उनके पास अपने पिता के हस्ताक्षरों की पहचान करने के लिए कोई साधन नहीं था, यहां तक कि वे यह भी नहीं पहचान सकते थे कि नारंजन सिंह और अवतार सिंह के हस्ताक्षर एक ही थे या नहीं, संक्षेप में, तर्कों का खंडन करने के लिए, उन्होंने कहा कि चूंकि प्रमाणक गवाहों में से एक मुकर गया था और अन्य गवाहों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए 1925 के अधिनियम की खंड 63 (सी) के प्रावधानों का कोई अनुपालन नहीं किया गया था, क्योंकि डीडब्ल्यू-8 महेश कुमार, सेवानिवृत्त तहसीलदार, अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में गवाही भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मृत्युदंड के समय मुख्तियार सिंह 40 वर्ष के थे और वसीयत की सामग्री को समझने पर, उन्होंने अपने अंगूठे के छापों को जोड़ा था। वसीयत सबसे अप्राकृतिक थी और संदेह की परिस्थितियों से घिरी हुई थी क्योंकि किसी भी पक्ष ने करतkर कौर को उनकी पत्नी और मोहिंदरजीत सिंह को पोता होने से इनकार नहीं किया था। एक बार जब मुख्तियार सिंह से पहले अवतार सिंह की मृत्यु हो गई थी और वह और उनके कानूनी उत्तराधिकारी वसीयत के तहत संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते थे, इसलिए वे आवश्यक पाVhZ नहीं थे, इसलिए मुद्दा संख्या 4 का फैसला वादी के मुकदमा में किया जाना चाहिए था, लेकिन वाद को 66 कनाल की भूमि के एक तिहाई हिस्से की सीमा तक अनुमति देने में कमh ह, जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया ह। वादी ने 66 कनाल की भूमि के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया, क्योंकि सह-मुकदमा के जीवित सदस्यों पर उत्तरजीविता द्वारा दिलचस्पी की गयh थh, जो मृतक की बहू और पोते-मुख्तियार सिंह थीं। यह पहले से ही अभिलेख पर साबित हो चुका था कि अल्ला सिंह की कुछ अन्य पतृक सम्पत्ति थी जिसे बेच दिया गया था और एक अन्य संपत्ति खरीदी गई थी जिसका एक हिस्सा वर्तमान मुकदमे में विवाद था। उक्त संपत्ति को उनके चार बेटों, अवतार सिंह, बागर सिंह, बचित्तर सिंह और मुख्तियार सिंह के बीच समान रूप से विभाजित किया गया था और यह हिस्सा मुख्तियार सिंह के पास चला गया था, इस प्रकार, इस अदालत से मुकदमे के आदेश को पूरी तरह से संशोधित करने और प्रतिवादीयों द्वारा दायर अपील को खारिज करने का आग्रह करता ह।

(12) अपनी दलीलों के समर्थन में, उन्होंने यह तर्क देने के लिए कि वसीयत के लेखक को गवाहों को प्रमाणित करने वाला नहीं माना जा सकता ह, जानकी नारायण भोइर बनाम नारायण नामदेव कदम[2] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए अनुपात निर्णय पर भरोसा किया। वसीयत के प्रस्तावक को वसीयत को साबित करना होता हकि यह वध और विधिवत रूप से निष्पादित किया गया था, न कि केवल वसीयत पर हस्ताक्षर साबित करके।

[2] 2003(1) आरसीआर (सिविल) 409,2003 (2) एससीसी 91 746

दर्शन सिंह और अन्य बनाम नसीब कौर और अन्य

(अमित रावल, जे.)

वसीयतकर्ता, 1925 के अधिनियम की खंड 63 (सी) के खंड 6 के प्रावधानों के अनुसार एक साक्षीकरण होना चाहिए। 1925 के अधिनियम की खंड 63 (सी) की उप-खंड 3 में वर्णित अभिव्यक्ति 'निर्देश' का पालन नहीं किया गया ह। **2012 के** आर. एस. ए. संख्या **5252 शीर्षक कंवलजीत कौर बनाम जोगिंदर सिंह बडवाल (LR द्वारा से मृतक) निर्णय तारीख 13.12.2016 और अन्य के साथ-साथ 2011 के RSA संख्या 5041 शीर्षक साधु सिंह (LR द्वारा से मृतक) बनाम गुरदीप सिंह और अन्य निर्णय तारीख 01.03.2018** में इस न्यायालय द्वारा लिए गए अनुपात **निर्णय** पर भी भरोसा किया।

.(13) मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना ह, पेपर बुक के साथ-साथ नीचे दिए गए न्यायालयों के रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया ह।

(14) इस अदालत के समक्ष जो सवाल उठता ह वह यह ह कि क्या मुख्तियार सिंह ने एक वध और वास्तविक वसीयत का निष्पादन किया था, क्योंकि वसीयत साबित होने की स्थिति में निचली अपील न्यायालय का वादी संख्या 1 व 2 नसीब कौर और मोहिंदरजीत सिंह को एक तिहाई हिस्सा देने का फ़ैसला और डिक्री उचित ह और यदि अन्यथा, मुख्तियार सिंह की पूरी संपत्ति अभियोक्ता द्वारा विरासत में ली जाएगी, जो मुख्तियार सिंह के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं, जो बंता सिंह के अधिकार से वंचित हैं, जो मुख्तियार सिंह की दोषसिद्धि/हत्या के आरोपों के कारण अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। यह एक स्थापित कानून ह कि वसीयत को साबित करने के लिए प्रस्तावक को 1872 के अधिनियम की खंड 68 और 1925 के अधिनियम की खंड 63 (सी) के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक ह, जो इस प्रकार ह-

" भारतीय साक्ष्य अधिनियम की खंड 68

कानून द्वारा सत्यापित किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ के निष्पादन का प्रमाण।

— यदि कानून द्वारा किसी दस्तावेज़ को सत्यापित करने की आवश्यकता ह, तो इसका उपयोग तब तक सबूत के रूप में नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह को उसके निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया जाता ह, यदि कोई प्रमाणित करने वाला गवाह जीवित ह, और अदालत की प्रक्रिया के अधीन ह और सबूत देने में सक्षम ह।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की खंड 63 (सी)

(ग) वसीयत दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित की जाएगी, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर को देखा ह या वसीयत पर अपना निशान लगाया ह या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और निर्देश से किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा ह, या वसीयतकर्ता से अपने हस्ताक्षर या निशान की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की ह, या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर; और प्रत्येक गवाह की उपस्थिति में वसीयतकर्ता वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं होगा कि एक ही समय में एक से अधिक गवाह उपस्थित हों, और साक्षीकरण के किसी विशेष रूप की आवश्यकता नहीं होगी।

(15) बंता सिंह की पत्नी और पुत्र और मुख्तियार सिंह की बहू और पोते होने के नाते नसीब कौर और मोहिंदरजीत सिंह के संबंधों के साथ-साथ मुख्तियार सिंह की हत्या के लिए बंता सिंह को दोषी ठहराए जाने पर कोई विवाद नहीं ह। वसीयत पंजीकृत ह। यह नारंजन सिंह द्वारा प्रमाणित किया गया था, जो मर गया और अवतार सिंह, जो मुकर गया। इसका मसौदा सुरजीत सिंह ने तयार किया था और इसे पंजीकृत करने वाले तहसीलदार भी डीडब्ल्यू-8 के रूप में सामने आए हैं। डी. डब्ल्यू. 5- नारंजन सिंह के पुत्र रणजीत सिंह ने वसीयत का समर्थन नहीं किया या इस तथ्य के संबंध में बता सकते हैं कि उनके पिता ने वसीयतकर्ता के

निर्देश पर हस्ताक्षर किए थे या वसीयतकर्ता से उनके हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की थी, जो वसीयत के निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से सामग्री में से एक है। दुहराने के लिए, दूसरे प्रमाणित करने वाले गवाह ने वादी के मामले का समर्थन नहीं किया। पूरा ध्यान डी. डब्ल्यू. 4-सुरजीत सिंह और डी. डब्ल्यू. 8-महेश कुमार, सेवानिवृत्त तहसीलदार के बयान की ओर खींचा गया। डीडब्ल्यू4-सुरजीत सिंह, डीड राइटर की जिरह पढ़ने पर यह सामने आया कि उनके रजिस्टर पर मुख्तियार सिंह के अंगूठे के निशान नहीं हैं।, डी. डब्ल्यू. 8-महेश कुमार, सेवानिवृत्त तहसीलदार, इस तथ्य के संबंध में एक शब्द भी नहीं बता सके कि गवाहों ने "वसीयतकर्ता के निर्देशों" या उनकी व्यक्तिगत स्वीकृति पर उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे, इसलिए 1925 के अधिनियम की खंड 63 (सी) का अनुपालन स्पष्ट रूप से आवश्यक है। भले ही, दूसरे गवाह से पूछताछ की गई हो या अपदस्थ किया गया हो कि दूसरा गवाह निष्पादन के समय मौजूद था, यह वसीयत को साबित करने के लिए प्रावधानों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं था। संक्षिप्तता के लिए, जानकी के मामले (ऊपर) में दिए गए निर्णय के पैराग्राफ संख्याए 8 और 9 को नीचे प्रस्तुत किया गया है।

> "8. यह कहने के लिए कि वसीयत को विधिवत निष्पादित किया गया है। उत्तराधिकार अधिनियम की खंड 63 के खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित आवश्यकताओं का पालन किया जाना है। अर्थात, (ए) वसीयतकर्ता को वसीयत पर अपना चिह्न हस्ताक्षरित करना होगा या चिपकाना होगा, या उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देश से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना होगा; (बी) वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर या चिह्न, या उसके निर्देश पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर, ऐसे स्थान पर दिखाई देना होगा जहां से यह प्रतीत हो सके कि उस चिह्न या हस्ताक्षर से दस्तावेज़ वसीयत के रूप में प्रभावी होने का इरादा रखता है। (सी) सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसके साथ हम इस अपील में वर्तमान में संबंधित यह है कि वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए और इनमें से प्रत्येक गवाह ने वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर को देखा होगा या वसीयत पर अपना निशान लगाया होगा, या किसी अन्य व्यक्ति को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश से वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा होगा, या वसीयतकर्ता से हस्ताक्षर या चिह्न की व्यक्तिगत स्वीकृति, या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त किए होंगे, और प्रत्येक गवाह को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करने होंगे।
>
> 9. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वसीयत के उचित निष्पादन की आवश्यकताओं में से एक दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा इसका साक्षीकरण है जो अनिवार्य है।"

(16) साधु सिंह के मामले (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने 1956 के अधिनियम की खंड 63 (सी) के प्रावधानों के साथ-साथ गवाहों के बयान की जांच करते हुए पाया कि गवाहों ने उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में नहीं कहा था। संक्षिप्तता के लिए, प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार है।

"भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की खंड 63 (सी) के प्रावधानों का पालन करने के लिए तीन शर्तों का प्रावधान है। (i) वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए था, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर या तो हस्ताक्षर करते हुए या अपना निशान लगाते हुए देखा था या उपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत पर हस्ताक्षर करते हुए देखा था; (ii) वसीयतकर्ता के निर्देश से, या वसीयतकर्ता से अपने हस्ताक्षर या निशान की व्यक्तिगत स्वीकृति, या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त किए हैं; और (iii) प्रत्येक गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं होगा कि एक से अधिक गवाह एक ही समय में उपस्थित हों, और किसी विशेष रूप से साक्षीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों गवाहों, पीडब्लू 3-मल्कियत सिंह और पीडब्लू 5-नजर सिंह से वादी-गुरदीप सिंह ने वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए पूछताछ की है और कहा है कि उन्होंने वसीयतकर्ता-सुरजीत कौर की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन

दर्शन सिंह और अन्य बनाम नसीब कौर और अन्य

(अमित रावल, जे.)

दूसरी शर्त का अनुपालन, यानी वसीयतकर्ता के "निर्देश" द्वारा, स्पष्ट रूप से वांछित ह। उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन जानकी के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष और कंवलजीत के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के समक्ष बहस और विचार का विषय रहा ह, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया ह कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की खंड 63 (सी) के सभी तत्व- का पालन किया जाना आवश्यक ह। संक्षिप्तता के लिए, जानकी के मामले (ऊपर) के पशाग्राफ संख्याए 6 से 8 और 10 और कंवलजीत के मामले (ऊपर) के प्रासंगिक हिस्से को इस प्रकार पढ़ा जाता ह-

“6. सुनवाई में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि रायकर केवल लिपिक थे और वे प्रमाणक गवाह नहीं थे।यहां तक कि खुद रायकर के साक्ष्य को देखते हुए भी यह स्पष्ट ह कि उन्होंने लेखक के रूप में साक्ष्य दिया था। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं ह जिससे यह संकेत मिले कि उनका वसीयत को प्रमाणित करने का कोई इरादा था। प्रमाणित करने वाले गवाह सिंकर ने यह नहीं कहा ह कि दूसरे प्रमाणित करने वाले गवाह वागले ने उनकी उपस्थिति में वसीयत को प्रमाणित किया ह। दूसरी ओर, उन्होंने कहा ह कि उन्होंने वसीयत के निष्पादन के समय वागले को उपस्थित नहीं देखा था। वसीयत को साबित आदेश के लिए दूसरे प्रमाणित आदेश वाले गवाह वागले के जीवित होने की जांच की जानी चाहिए थी। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं लाया गया ह कि वागले की जाँच करने का कोई प्रयास किया गया था या उसकी जाँच करने में कोई बाधा थी। यह सच ह कि हालांकि वसीयत को दो गवाहों द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता होती ह, लेकिन इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार प्रमाणित करने वाले गवाहों में से एक की जांच करके साबित किया जा सकता ह।

7.हम प्रासंगिक प्रावधानों, अर्थात् भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की खंड 63 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की खंड 68 और 71 को देखना उचित समझते हैं, जिसमें कहा गया ह।

उत्तराधिकार अधिनियम "63 की खंड 63। विशेषाधिकार प्राप्त वसीयतों का निष्पादन।- प्रत्येक वसीयतकर्ता, जो किसी अभियान में नियोजित सन्निक नहीं ह या वास्तविक युद्ध में संलग्न नहीं ह, या इस तरह से कार्यरत या लगे हुए एयरमन या समुद्र में नाविक नहीं ह, निम्नलिखित नियमों के अनुसार अपनी वसीयत का निष्पादन करेगाः-

(क)।

(ख)।

(ग) वसीयत दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित की जाएगी, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर को देखा ह या वसीयत पर अपना निशान लगाया ह या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और निर्देश से किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा ह, या वसीयतकर्ता से अपने हस्ताक्षर या निशान, या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की ह, और प्रत्येक गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा।

लेकिन यह आवश्यक नहीं होगा कि एक ही समय में एक से अधिक गवाह उपस्थित हों और किसी विशेष प्रकार के साक्षीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

साक्ष्य अधिनियम "68 की खंड 68। कानून द्वारा सत्यापित किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ के निष्पादन का प्रमाण।- यदि कानून द्वारा किसी दस्तावेज़ को सत्यापित करने की आवश्यकता ह, तो इसका उपयोग तब तक सबूत के रूप में नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह

को उसके निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया जाता ह, यदि कोई प्रमाणित करने वाला गवाह जीवित ह,और अदालत की प्रक्रिया के अधीन हऔर सबूत देने में सक्षम ह

प्रदान किया गया..... "।

साक्ष्य अधिनियम "71 की खंड 71। गवाह को प्रमाणित करते समय सबूत निष्पादन से इनकार करता ह- यदि प्रमाणक गवाह इनकार करता हया दस्तावेज़ के निष्पादन को याद नहीं करता ह, तो इसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता ह

8. यह कहने के लिए कि वसीयत को विधिवत निष्पादित किया गया ह,उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना ह,यानी **(ए)** वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करना होगा या उस पर अपना निशान लगाना होगा। वसीयत, या उस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देश पर हस्ताक्षर किया गया हो; **(बी)** कि वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या चिह्न, या उसके निर्देश पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, ऐसे स्थान पर दिखाई देने चाहिए, जिससे यह प्रतीत हो सके कि उस चिह्न या हस्ताक्षर से दस्तावेज़ वसीयत के रूप में प्रभावी होने का इरादा रखता ह; **(सी)** सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसके साथ हम वर्तमान में इस अपील में चिंतित हैं, वह यह हकि वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए और इनमें से प्रत्येक गवाह ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना निशान लगाते हुए देखा होगा, या किसी अन्य व्यक्ति को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश पर वसीयत पर हस्ताक्षर करते हुए देखा होगा, या वसीयतकर्ता से हस्ताक्षर या चिह्न, या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत पावती प्राप्त की होगी, और प्रत्येक गवाह के पास हवसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करना।

10. साक्ष्य अधिनियम की खंड 68 में बताया गया हकि कानून द्वारा सत्यापित किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ को कैसे साबित किया जा सकता ह उक्त खंड के अनुसार, कानून द्वारा सत्यापित किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ का उपयोग तब तक सबूत के रूप में नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह को उसके निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया जाता ह यदि कोई जीवित प्रमाणक गवाह हऔर न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन ह और साक्ष्य देने में सक्षम ह इस खंड से यह निकलता हकि यदि कोई जीवित प्रमाणक गवाह हजो साक्ष्य देने में सक्षम हऔर न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन ह, तो कानून द्वारा प्रमाणित किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ को साक्ष्य में उपयोग करने से पहले आवश्यक रूप से जांच की जानी चाहिए।उत्तराधिकार अधिनियम की खंड 63 को साक्ष्य अधिनियम की खंड 68 के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने पर, ऐसा प्रतीत होता हकि वसीयत का प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि वसीयत को विधिवत और वध रूप से निष्पादित किया गया था। यह केवल यह साबित करके नहीं किया जा सकता हकि वसीयत पर हस्ताक्षर वसीयतकर्ता के थे, लेकिन यह भी साबित करना होगा कि उत्तराधिकार अधिनियम की खंड 63 के खंड (सी) द्वारा आवश्यक प्रमाणन भी ठीक से किए गए थे। यह सच हकि साक्ष्य अधिनियम की खंड 68 में यह नहीं कहा गया हकि दोनों या सभी प्रमाणक गवाहों से पूछताछ की जानी चाहिए। लेकिन खंड 63 में परिकल्पित वसीयत के उचित निष्पादन को साबित करने के लिए कम से कम एक प्रमाणक गवाह को बुलाया जाना चाहिए। यद्यपि उत्तराधिकार अधिनियम की खंड 63 में यह अपेक्षा की गई हकि वसीयत को कम से कम दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, साक्ष्य अधिनियम की खंड 68 में यह प्रावधान हकि एक दस्तावेज, जिसे प्रमाणित करने के लिए कानून द्वारा आवश्यक ह, का उपयोग सबूत के रूप में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि एक प्रमाणित करने वाले गवाह से कम से कम उसके उचित निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से पूछताछ नहीं की जाती ह, यदि ऐसा गवाह जीवित हऔर सबूत देने में सक्षम हऔर अदालत की प्रक्रिया के अधीन ह एक तरह से, खंड 68 उन लोगों को रियायत देती हजो कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह की जांच करके कानून के न्यायालय में वसीयत साबित करना और स्थापित करना चाहते हैं, भले ही उत्तराधिकार अधिनियम की खंड 63 के तहत अनिवार्य रूप से कम से

दर्शन सिंह और अन्य बनाम नसीब कौर और अन्य

(अमित रावल, जे.)

कम दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना हो। लेकिन जो महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य ह□वह यह ह□ कि जांच किए गए गवाह को प्रमाणित करने वाला व्यक्ति वसीयत के निष्पादन को साबित करने की स्थिति में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि कोई सत्यापित करने वाला गवाह खंड 63 के खंड (सी) के संदर्भ में वसीयत के निष्पादन को साबित कर सकता ह□ अर्थात्, दो साक्षीकरण करने वाले गवाहों द्वारा उसमें विचार किए गए तरीके से सत्यापन, अन्य साक्षीकरण करने वाले गवाह की परीक्षा को समाप्त किया जा सकता हा□जाँच किए गए गवाह को, अपने साक्ष्य में, यह साबित आदेश के लिए कि वसीयत का उचित निष्पादन किया गया था, अपने और दूसरे प्रमाणित आदेश वाले गवाह द्वारा वसीयत के साक्षीकरण को संतुष्ट करना पड़ता हा□ यदि सत्यापित करने वाले गवाह से पूछताछ की जाती ह□ तो उसका सत्यापन, उसके साक्ष्य में, अन्य गवाहों द्वारा वसीयत के सत्यापन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता ह□ साथ ही यह कम से कम दो गवाहों द्वारा वसीयत के सत्यापन से कम हो जाता ह□ क्योंकि वसीयत का निष्पादन नहीं होता हा□ इसका मतलब केवल वसीयतकर्ता द्वारा इस पर हस्ताक्षर करना नहीं ह□ बल्कि इसका मतलब उत्तराधिकार अधिनियम की खंड 63 के तहत आवश्यक सभी औपचारिकताओं को पूरा करना और उनका साक्षीकरण हा□ जहां साक्ष्य अधिनियम की खंड 68 के तहत वसीयत को साबित करने के लिए जांचा गया एक साक्षीकरणक गवाह वसीयत के उचित निष्पादन को साबित करने में विफल रहता ह□ तो अन्य उपलब्ध साक्षीकरणक गवाह को अपने साक्ष्य के पूरक के रूप में बुलाना होगा ताकि इसे सभी मामलों में पूरा किया जा सके। जहां एक प्रमाणक गवाह से पूछताछ की जाती ह□ और वह दूसरे गवाह द्वारा वसीयत के साक्षीकरण को साबित करने में विफल रहता ह□ वहां साक्ष्य अधिनियम की खंड 68 की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में कमी होगी।

कंवलजीत के मामले का प्रासंगिक भाग (ऊपर)

मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना ह□ और पेपर बुक का मूल्यांकन किया ह□ और इस विचार से कि श्री कंवलजीत सिंह की प्रस्तुतियों में एक योग्यता और बल ह□ क्योंकि मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की खंड 45 के प्रावधानों की सहायता लेकर विशेषज्ञ की भूमिका नहीं संभालने में अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। वसीयत (एक्स.डी.W-1/1) की प्रथम दृष्टि में, भगवंत कौर ने कथित तौर पर अपने हस्ताक्षर टाइप किए गए नाम के ऊपर नहीं, बल्कि नीचे संलग्न किए थे। जब वसीयत समाप्त होती ह□ तो किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं जिसने पूर्णत्या प्राप्त किए थे। ऐसा प्रतीत होता ह□ कि यह खाली कागज पर टाइप किया गया था। यदि वास्तव में भगवंत कौर को उस पर हस्ताक्षर करने थे, तो प्रतिवादी (ओं) को सतर्क नहीं होना चाहिए था, बल्कि अपने जीवनकाल के दौरान या उसके बाद भी उसे निष्पादित और पंजीकृत कराने के लिए पर्याप्त साहस होना चाहिए था। मेरे पास वसीयत के प्रमाणित करने वाले गवाह, डी. डब्ल्यू.-1 डॉ. हर्षवर्धन सिंह की जाँच-पड़ताल करने का भी अवसर ह□ जिन्होंने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की खंड 63 (सी) के प्रावधानों के संदर्भ में गवाही नहीं दी थी, जो इस प्रकार ह□

(ग) वसीयत दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित की जाएगी, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर को देखा ह□ या वसीयत पर अपना निशान लगाया ह□ या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और निर्देश से किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा ह□ या वसीयतकर्ता से अपने हस्ताक्षर या निशान की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की ह□ या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर; और प्रत्येक गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा लेकिन यह आवश्यक नहीं होगा कि एक ही समय में एक से अधिक गवाह उपस्थित हों, और साक्षीकरण के किसी विशेष रूप की आवश्यकता नहीं होगी।

इस मामले के दो पहलू हैं कि वसीयत को दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए और उनमें से एक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और गवाहों को एक-दूसरे का संकेत देखा जाना चाहिए, लेकिन वसीयतकर्ता के "निर्देश" पर अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से वांछित ह। सरल और सरल शब्दकोश के अनुसार "इच्छा" अभिव्यक्ति को "दिशा" अभिव्यक्ति के साथ नहीं जोड़ा जा सकता ह, जिसका अर्थ ह□कि यह किसी भी तरह से यह इंगित नहीं करता ह□कि किसी व्यक्ति ने वास्तव में किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था।"इच्छा "काल्पनिक हो सकती ह, लेकिन" दिशा "व्यावहारिक और विशिष्ट होनी चाहिए।इन सभी कारकों को, मेरे विचार में, इस कोण से नहीं देखा गया ह, बहुत कम देखा गया ह,इस प्रकार, एक घोर अवधता और विकृति ह।'

(17) वसीयत में पत्नी और बेटे के अस्तित्व का भी उल्लेख नहीं किया गया था, हालांकि प्रतिवादियों द्वारा स्थापित मामले के अनुसार, पक्षों के बीच एक मुकदमा चलाया गया था, लेकिन वसीयतकर्ता द्वारा प्राकृतिक वंश या उत्तराधिकार की रेखा को अयोग्य ठहराने के लिए कारण बताए जाने की आवश्यकता थी। इन सभी कारकों पर निचली अपील न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया ह, जबकि मुकदमा को बरकरार रखते हुए मुकदमे को आंशिक रूप से आदेश दिया गया ह, इसलिए, मेरे विचार में, एक त्याग ह। अब आगे जो सवाल उठाया गया ह□वह इस तथ्य के संबंध में ह□कि प्रस्तावक ने वादी के पक्ष में तय किए गए अधिनियम के वधानिक प्रावधानों के संदर्भ में जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया था।

(18) इस सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब देने के लिए कि क्या मुख्तियार सिंह के बेटे होने के नाते बंता सिंह हकदार होंगे, मैं श्री गांधी की दलीलों से सहमत हूं, क्योंकि वल्लीकन्नू के मामले (उपरोक्त) में दिए गए फ़ैसले के पराग्राफ 20 और 21 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, बंता सिंह/वादी संख्या 3 अपने पिता के हिस्से के उत्तराधिकारी होने के हकदार नहीं होंगे, लेकिन अवतार सिंह के अधिकार को छीनने के संबंध में श्री गांधी का तर्क इस आधार पर कि उन्होंने वर्ष 1972 में अपनी मृत्यु से पहले ही मुख्तियार सिंह का निधन कर दिया था, जबकि 1976 में मुख्तियार सिंह महत्वहीन हो गए थे।

(19) इसमें कोई संदेह नहीं ह□कि यह न्यायालय पहले के अवसरों पर अपीलों पर निर्णय लेते समय कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तयार करता रहा ह, लेकिन माननीय के पांच विद्वान उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों द्वारा द्वारा पंकजक्षी (मृत) और अन्य बनाम चंद्रिका और अन्य 3 में लिए गए अनुपात निर्णय को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह प्रस्ताव सामने आया कि क्या खंड 97 (1) सी.पी.सी के प्रावधानों को देखते हुए, पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की खंड 41 के प्रावधान लागू होंगे या अपील यानी आर. एस. ए. सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 100 के तहत दायर की जाएगी और इसका निर्णय कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तयार किए बिना हो सकता ह। माननीय उच्चतम न्यायालय की संवधानिक पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि **कुलवंत कौर और अन्य बनाम गुरदियाल सिंह मान में निर्णय** (एल. आर. और अन्य 4 द्वारा, सी. पी. सी. की खंड 97 (1) के लागू होने पर एक सही कानून नहीं ह,संक्षेप में, पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की खंड 41 के प्रावधानों को वापस कर दिया गया था।

(20) संक्षिप्तता के लिए, पंकजक्षी के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पांच विद्वान न्यायाधीशों के फ़ैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार ह-

[3] आकाशवाणी 2016 एससी 1213

[4] 2001(4) एस. सी. सी. 262

दर्शन सिंह और अन्य बनाम नसीब कौर और अन्य

(अमित रावल, जे.)

"चूँकि पंजाब अधिनियम की खंड 41 स्पष्ट रूप से संशोधनकारी कानून के विपरीत ह, खंड 100 को संशोधित किया गया माना जाएगा कि इसे निरस्त कर दिया गया हइस प्रकार हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं हकि पूर्ण पीठ द्वारा घोषित कानून गणपत के मामले में उच्च न्यायालय [ए. आई. आर. 1978 पी. एंड एच. 137 **:80 पुंज एल. आर. 1 (एफ. बी.)] को कायम नहीं रखा जा सकता है और इस प्रकार इसे खारिज कर दिया जाता है।[पैरा 27-29 पर] "**

27. यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद 254 का उल्लेख भी इस न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में सही ढंग से नहीं किया गया था।पंजाब न्यायालय अधिनियम की खंड 41 1918 की पुरानी हाजाहिर ह, इसलिए, यह भारत का संविधान लागू होने के बाद किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून नहीं हायह भारत सरकार अधिनियम, 1915 की खंड 80ए के तहत एक प्रांतीय विधानमंडल द्वारा बनाया गया एक कानून ह, जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रारंभ से ठीक पहले ब्रिटिश भारत में खंड 292 द्वारा लागू एक कानून होने के नाते जारी रखा गया था।इसके बदले में, भारत का संविधान लागू होने के बाद और अनुच्छेद 395 द्वारा भारत सरकार अधिनियम, 1935 को निरस्त करने के बाद, पंजाब न्यायालय अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 372 (1) के आधार पर भारत के संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले भारत के क्षेत्र में लागू एक कानून बना रहा।इस मामले में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 का इस तरह के कानून पर कोई आवेदन नहीं होगा इसका कारण यह हकि यह किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून नहीं ह, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 372 के आधार पर जारी एक मौजूदा कानून हायदि बिल्कुल भी हो, तो केवल अनुच्छेद 372 (1) ही ऐसे कानून पर लागू होगा जो किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित किए जाने तक लागू रहेगा।हम पहले ही पा चुके हैं कि चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 की खंड 97 (1) पंजाब न्यायालय अधिनियम की खंड 41 पर लागू नहीं होती ह, इसलिए यह अनिवार्य रूप से एक लागू कानून के रूप में जारी रहेगा।"

(21) इसलिए, मैं उपरोक्त अपीलों पर निर्णय लेते समय कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तय्यार करने का इरादा नहीं रखता।

(22) नतीजतन, निचली अपील न्यायालय के फ़ैसले और डिक्री को इस हद तक संशोधित किया गया हकि अभियोक्ता संख्याए 1 और 2, अर्थात्, नसीब कौर और मोहिंदरजीत सिंह मुख्तियार सिंह के हिस्से के हकदार होंगे, न कि बंता सिंह के।तदनुसार डिक्री शीट तय्यार करने का आदेश दिया जाता ह।

(23) दोनों नियमित दूसरी अपीलों को उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से अनुमति दी जाती ह।

अस्विकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी वयावहारिक और अधिकारिक उदेश्यके लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रारंभिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुकत रहेगा।

रघवीर सिंह ट्रांसलेटर